भारत के राज्य-चिन्ह
के
सम्बन्ध में आदेश

सत्यमेव जयते

गृह मन्त्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली

भारत के राज्य-चिन्ह के सम्बन्ध में आदेश

1. भारत का राज्य-चिन्ह-वर्णन तथा रूपरेखा

(1) भारत का राज्य-चिन्ह अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष से बनाया गया है जिसे सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इस सिंह शीर्ष में चार सिंह हैं और एक गोलाकार शीर्षफलक पर उनकी पीठ से पीठ जुड़ी हुई है। शीर्षफलक का प्रस्तर-गल एक हाथी, एक दौड़ते हुए घोड़े, एक वृषभ और एक सिंह, की उभरी हुई मूर्तियों से सुसज्जित है और इन मूर्तियों के बीच-बीच में धर्म चक्र बने हुए हैं, यह शीर्षफलक घंटी के आकार के एक कमल पर रखा है।

सिंह शीर्ष की रूपरेखा में शीर्षफलक पर तीन सिंह जुड़े हुए हैं तथा केन्द्र में एक धर्म चक्र है उसके दाहिनी ओर एक वृषभ और बाईं ओर दौड़ता हुआ एक घोड़ा और दाहिने तथा बाएं छोरों पर धर्म चक्रों की रूपरेखा है— इस रूपरेखा को भारत के राज्य-चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। घंटी के आकार का कमल छोड़ दिया गया है।

'सत्यमेव जयते' नामक ध्येय वाक्य, अर्थात् केवल सत्य की ही विजय होती है सिंह शीर्ष की रूपरेखा के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है, यह भारत के राज्य-चिन्ह का एक अंश है। यह ध्येय वाक्य मुण्डकोपनिषद नामक प्राचीन धर्म ग्रन्थ से लिया गया है।

टिप्पणी:—भारत के राज्य-चिन्ह का निम्नलिखित अनुच्छेदों में राज्य-चिन्ह के नाम से उल्लेख किया गया है।

(2) राज्य-चिन्ह को सही रूप में प्रतिरूपित करने के लिये दो मानक रूपरेखाएं स्वीकृत की गई हैं। इन रूपरेखाओं के छापे परिशिष्ट I और II में दिये गये हैं। रूपरेखा I एक सरलीकृत रूप में है और छोटे आकार में प्रतिरूपित करने के लिये है जैसे लेखन सामग्री, मोहरों तथा ठप्पा-छपाई में प्रयोग के लिये। बड़े आकार में प्रतिरूपण के लिये केवल रूपरेखा II का प्रयोग किया जाना चाहिये, जो अधिक विस्तृत है।

राज्य-चिह्न के सभी प्रतिरूपण रूपरेखा I अथवा II के बिल्कुल सदृश्य होने चाहिए।

राज्य-चिह्न की रूपरेखाओं के फोटो-चित्र प्रबन्धक, फोटोलिथो विभाग, भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली, से प्राप्त हो सकते हैं।

राज्य-चिह्न के मानक ठप्पों के नमूने मुद्रण तथा लेखन-सामग्री के मुख्य नियंत्रण के कार्यालय, नई दिल्ली, से प्राप्त हो सकते हैं।

II. राज्य सरकारों द्वारा अपनाया जाना

असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा यह राज्य-चिह्न अपनाया गया है और आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, तामिलनाडु, मैसूर, उड़ीसा और पंजाब की सरकारों द्वारा अपनाए गए चिह्नों में इसे सम्मिलित किया गया है। हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ को छोड़कर सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन और सरकारें इस राज्य-चिह्न का प्रयोग करती हैं। चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र ने अपने अपनाए हुए राज्य-चिह्न में इस राज्य-चिह्न को सम्मिलित किया है।

III. सरकारी मोहरों में प्रयोग

राज्य-चिह्न भारत की सरकारी मोहर है। सरकारी मोहर के लिए राज्य-चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित तक सीमित है :

(i) राष्ट्रपति,
(ii) उप-राष्ट्रपति,
(iii) केन्द्रीय मंत्री,
(iv) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय तथा अन्य कार्यालय और विदेश स्थित राजनयिक मिशन,
(v) राज्यपाल, उप-राज्यपाल, संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त और प्रशासक।
(vi) इस राज्य-चिह्न को अपनाने वाले राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों तथा प्रशासनों के मंत्री तथा विभाग।

किन्तु जिन केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को अपने विशेष चिह्नों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है, वे उसे अपनी मोहरों में प्रयोग कर सकते हैं।

IV. लेखन सामग्री में प्रयोग

(1) मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली अर्द्ध-शासकीय लेखन-सामग्री पर जब राज्य-चिह्न मुद्रित अथवा समुद्भृत हो तो राज्य-चिह्न सब से ऊपर बाये कोने में होनी चाहिए। "गृह मंत्री" अथवा "गृह मंत्रालय" जैसे शब्द सबसे ऊपर बाये दाएं कोने में होने चाहिए।

(2) मंत्रियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली अर्द्ध-शासकीय लेखन-सामग्री नीले रंग में समुद्भृत या मुद्रित होनी चाहिए।

(3) जब तक किसी अधिकारी को विशिष्ट रूप से किसी अन्य रंग में छपी लेखन-सामग्री के प्रयोग के लिए विशिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो, अधिकारियों द्वारा

प्रयोग में लाई जाने वाली अर्द्ध-शासकीय लेखन-सामग्री लाल रंग में समुद्भृत या मुद्रित होनी चाहिए। ऐसी लेखन-सामग्री पर अधिकारियों के नाम मुद्रित नहीं होने चाहिएं।

(4) संसद सदस्य अपनी लेखन-सामग्री पर राज्य-चिह्न समुद्भृत या मुद्रित करवा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए लोक सभा के सदस्यों के लिए हरा रंग प्रयोग में लाया जाएगा तथा राज्य सभा के सदस्यों के लिए लाल रंग। ऐसी लेखन-सामग्री जब मुद्रण तथा लेखन-सामग्री के मुख्य नियंत्रक द्वारा दी जाती है तो उस पर सदस्यों का नाम व पता अंकित नहीं होता है। किन्तु यदि सदस्य चाहें तो भारत सरकार, निर्माण, आवास तथा पूर्ति विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित गैर-सरकारी मुद्रणालयों से ऐसी लेखन-सामग्री में अपने नाम व पते छपवा सकते हैं।

(5) जब संसद सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली लेखन-सामग्री में राज्य-चिह्न दिया हो तो उस पर लेटर हैड उन नामों के नीचे "अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय" तथा "सम्पादक ···· पत्रिका" जैसे शब्द नहीं होने चाहिए।

V. सरकारी मोहर की रूपरेखा

(1) पीतल तथा रबड़ की मोहरों की रूपरेखा में राज्य-चिह्न चारों ओर काफी मोटाई के अण्डाकार चौखटे में होता है। चौखटे के भीतरी और बाहरी रेखाओं के बीच में मंत्रालय या कार्यालय का नाम होना चाहिए। जहां मंत्रालयों/कार्यालयों का पूरा नाम उसमें न आ सके वहां उनके संक्षिप्त नाम दिए जा सकते हैं।

(2) जिन कार्यालय अथवा अधिकारियों को गोलाकार पीतल की मोहर प्रयोग में लाने की अनुमति पहले से प्राप्त है वे उनका प्रयोग जारी रख सकते हैं। गोलाकार रबड़-मोहरों का प्रयोग निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है :

(i) विदेश स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र,

(ii) विदेश मंत्रालय विशेष प्रयोजनों के लिए, जैसे पारपत्रों, राजनयिक पहचान-पत्रों, वीसा या प्रवेश परमिटों पर मोहर लगाने के लिए। भारत में तथा विदेश में पारपत्र अधिकारियों द्वारा भी एक गोलाकार समुद्भृत-यंत्र प्रयोग में लाया जा रहा है जिसमें राज्य-चिह्न होता है,

(iii) भारत सरकार के मंत्रालय, विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिए।

VI. गाड़ियों पर इसका प्रदर्शन

(1) राज्य-चिह्न का निम्नलिखित वाहनों पर प्रदर्शन किया जा सकेगा :

(i) राष्ट्रपति भवन की गाड़ियों पर।

(ii) उप-राष्ट्रपति की कारों पर।

(iii) राज-भवनों की गाड़ियों पर ।

(iv) राज-निवासों की गाड़ियों पर ।

(v) भारत के राजनयिक मिशनों के प्रधान अधिकारियों द्वारा उनके प्रत्यायन वाले देशों में प्रयोग में लाई जाने वाली कारों तथा परिवहन के अन्य साधनों पर ।

(vi) विदेश में भारत के कौनसली केन्द्रों के प्रधान अधिकारियों द्वारा उनके प्रत्यायन वाले देशों में उन देशों के नियमों, विनियमों तथा परम्परा के अनुसार, प्रयोग में लाई जाने वाली कारों तथा परिवहन के अन्य साधनों पर ।

(2) अशोक चक्र (अर्थात् धर्म चक्र जो राज्य-चिह्न का एक अंश है) को प्रदर्शित करते हुए धातु के त्रिकोणाकार फलक निम्नलिखित की कारों पर प्रयोग में लाए जा सकेंगे :

केन्द्र के केबिनेट मंत्री,
केन्द्र के राज्य मंत्री,
लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
राज्य सभा के उपाध्यक्ष,
राज्यों के केबिनेट मंत्री,
राज्यों के राज्य मंत्री,
राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष,
राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष,
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त तथा मंत्री (उप-मंत्रियों को छोड़कर) तथा
संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ।

VII. सरकारी भवनों पर प्रदर्शन

(1) राज्य-चिह्न केवल अत्यधिक महत्वपूर्ण सरकारी भवनों जैसे राष्ट्रपति भवन, राज्य भवन, राज्य निवास, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, केन्द्रीय सचिवालय, संसद भवन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवालय तथा विधान मंडलों पर प्रदर्शित किया जा सकेगा ।

(2) राज्य-चिह्न विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों के भवनों पर प्रदर्शित किया जा सकेगा । मिशनों के प्रधान अपने निवास-स्थानों पर राज्य-चिह्न प्रदर्शित कर सकेंगे ।

(3) विदेश स्थित भारत के वाणिज्य दूतावासों के भवनों के प्रवेश-द्वारों पर, कौन्सली केन्द्रों के प्रधानों के निवास-स्थानों पर राज्य-चिह्न, उन देशों के नियमों, विनियमों तथा परम्पराओं के अनुसार प्रदर्शित किया जा सकेगा।

VIII. अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग

राज्य-चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित पर भी किया जा सकेगा :

(i) सरकार द्वारा जारी किए गए प्रकाशन और निर्मित चल-चित्र,

(ii) सिक्कों मुद्रा-नोटों, बचत-पत्रों तथा डाक टिकटों पर टकसाल या प्रेस द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों के साथ,

(iii) सरकार द्वारा जारी किए गए पदक तथा सनद,

(iv) राज्य समारोहों के लिए निमंत्रण-पत्र,

(v) वैध प्रतिनिधित्व प्रयोजन के लिए विदेशों स्थित भारतीय मिशनों के अधिकारियों द्वारा भेजे गए नव वर्ष के तथा अन्य शुभकामना-पत्र,

(vi) राष्ट्रपति भवन, राज-भवनों, राज-निवासों तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों में प्रयोग में आने वाले प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कांच के बर्तन चीनी के बर्तन व छुरी कांटे,

(vii) पुलिस, आबकारी पुलिस दल आदि की वर्दियों के बिल्ले, कालर, बटनों आदि पर, जिन पर राज्य-चिह्न अपनाने से पहले पुराने कुल चिह्न या मुकुट आदि थे, राष्ट्रपति भवन के चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की वर्दी, विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी।

IX सशस्त्र सेना के कर्मचारियों द्वारा प्रयोग

सशस्त्र सेना की वर्दियों, बिल्लों आदि पर राज्यचिह्न का प्रयोग, रक्षा मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित अनुदेशों द्वारा नियन्त्रित होगा।

X. शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए प्रयोग

(1) राज्य-चिह्न के उद्भव, महत्व या उसके अपनाने को समझाने या उसे चित्र के रूप में दिखलाने के प्रयोजन से स्कूल की पाठ्य-पुस्तकों, इतिहास, कला या संस्कृति सम्बन्धी पुस्तकों या किसी पत्रिका में किसी अध्याय के मूल पाठ के भाग के रूप में मुद्रित किया जा सकेगा।

टिप्पणी:–राज्य-चिह्न का सरकारी प्रकाशन के अतिरिक्त किसी भी प्रकाशन के पहले पृष्ठ, शीर्षक या आवरण-पृष्ठ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा।

XI. सामान्य

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-चिह्न तथा नाम (अनुचित प्रयोग का निरोध) अधिनियम, 1950 की धारा 3 के अन्तर्गत निर्धारित मामलों तथा स्थितियों के अलावा अन्य किसी भी व्यापार, करोबार, व्यवसाय अथवा पेशे के लिए अथवा किसी एकस्व (पेटेंट) के शीर्षक में अथवा मार्का या नमूने में राज्य-चिह्न का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रयोजनों के लिए राज्य-चिह्न का अप्राधिकृत प्रयोग उक्त अधिनियम के अधीन अपराध है।

(2) गैर-सरकारी व्यक्तियों, व्यक्तियों के निकायों, खेल-कूद की संस्थाओं आदि को, सरकार की अनुमति के बिना अपने शीर्ष नामों, मोहरों, किरीटों, बिल्लों, निजी झंडों पर अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए राज्य-चिह्न के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

सत्यमेव जयते